



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124342

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1323/2026

यतेन्द्र उर्फ यतेन्द्र सिंह पुण्डीर तथा 2 अन्य

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : अनिल कुमार

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, हर्ष बर्धन चौबे, मनोज कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यह आपराधिक अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(1) के अंतर्गत दिनांक 09.12.2025 के तलबी आदेश तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिवाद वाद संख्या 1388/2024, अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 352 एवं उक्त अधिनियम की धारा 3(2)(वा), थाना सिकन्दराराव, जनपद हाथरस की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि कथित घटना दिनांक 16.10.2023 को घटित होना बताई गई है, जबकि प्राथमिकी दिनांक 23.11.2023 को अत्यधिक एवं अस्पष्टीकृत विलंब से दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान समस्त नामित चश्मदीद गवाहों तथा स्वतंत्र साक्षियों ने घटना से स्पष्ट रूप से इनकार करते हुए यह कथन दिया कि ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई। विवेचक अधिकारी ने साक्षियों के कथनों, चिकित्सीय साक्ष्य तथा विवेचना के दौरान संकलित अन्य सामग्री पर विचार करने के उपरांत आरोपों को असत्य पाया और तदनुसार दिनांक 16.01.2024 को अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात परिवादिनी द्वारा विरोध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में माना गया। तत्पश्चात परिवादिनी एवं उसके साक्षियों के कथन बी.एन.एस.एस. की धारा 223 एवं 225 के अंतर्गत अंकित किए गए। यद्यपि विचारण न्यायालय ने स्वयं यह निष्कर्ष अभिलिखित किया कि चिकित्सीय साक्ष्य से हमले के आरोप की पुष्टि नहीं होती है तथा परिवादिनी के पति के शरीर पर पाई गई चोटों को कथित घटना दिनांक 16.10.2023 से संबद्ध नहीं किया जा सकता, फिर भी उसने अपीलार्थीगण को धारा 352 बी.एन.एस. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के अंतर्गत मात्र परिवाद कार्यवाही के दौरान अंकित कथनों के आधार पर, अंतिम प्रतिवेदन, विवेचना के दौरान अंकित स्वतंत्र साक्षियों के कथनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध तात्विक विरोधाभासों की उपेक्षा करते हुए, तलब कर लिया। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि को लेकर दीर्घकालीन सिविल विवाद विद्यमान है तथा उक्त विवाद के कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दुर्भावनापूर्ण आशय से अपीलार्थीगण को झूठा फंसाया है। मूल वाद संख्या 11/2016 की कार्यवाहियों पर भी यह तर्क देने हेतु निर्भरता व्यक्त की गई कि कथित घटना की तिथि पर अपीलार्थी संख्या 1 सिविल न्यायालय के समक्ष उपस्थित था तथा परिवाद सिविल वाद के प्रत्युत्तर के रूप में संस्थित किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के प्राविधानों को आकर्षित किए जाने हेतु मूल अपराध का अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों में से एक होना आवश्यक है। चूंकि धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता (अब धारा 352 बी.एन.एस.) के संगत अपराध का अनुसूची में उल्लेख नहीं है, अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के प्राविधान आकर्षित नहीं होते।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का प्रबल विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जब परिवादिनी तथा उसके पति ने विवादित भूमि पर जे.सी.बी. मशीन चलाए जाने पर आपत्ति की तो अपीलार्थीगण ने उन पर हमला किया। उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक यह स्वीकार किया कि कथित घटना दिनांक 16.10.2023 को हुई क्षति दर्शाने वाली कोई चिकित्सीय रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि परिवाद के समर्थन में परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन के पक्ष का समर्थन किया है तथा तलबी के प्रक्रम पर केवल प्रथमदृष्ट्या मामला बनना ही देखा जाना है, साक्ष्य का सूक्ष्म मूल्यांकन अनुज्ञेय नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा संपूर्ण अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया है।



7. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा आक्षेपित तलबी आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को धारा 352 बी.एन.एस. तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के अंतर्गत तलब किया गया है।

8. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) यह प्राविधानित करती है कि जो कोई, किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, ऐसे व्यक्ति अथवा संपत्ति के विरुद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करता है, वह उसमें उपबंधित रीति से दंडनीय होगा।

9. यह स्वीकृत तथ्य है कि धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता, जो अब धारा 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत दंडनीय है, का संगत अपराध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अतः वर्तमान मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) को आकर्षित किए जाने हेतु आवश्यक तत्व अनुपस्थित है। परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के अंतर्गत कोई प्रथमदृष्ट्या अपराध नहीं बनता।

10. जहां तक धारा 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध का प्रश्न है, बी.एन.एस.एस. की धारा 225 के अंतर्गत अंकित कथनों से यह इंगित होता है कि साक्षियों ने विशेष रूप से यह कथन दिया है कि जब परिवादिनी तथा उसके पति ने विवादित भूमि पर जे.सी.बी. मशीन के संचालन पर आपत्ति की, तो अपीलार्थीगण ने उन्हें गाली-गलौज की। तलबी के प्रक्रम पर, न्यायालय को केवल यह परीक्षण करना होता है कि क्या अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है, न कि यह कि क्या साक्ष्य दोषसिद्धि हेतु पर्याप्त है। इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय **चन्द्र देव सिंह बनाम प्रकाश चन्द्र बोस, ए. आई. आर. 1963 एस.**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सी. 1430 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रारंभिक प्रक्रम पर न्यायालय को केवल यह अवधारित करना होता है कि क्या कार्यवाही जारी रखने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आलोक में, यह न्यायालय यह पाता है कि अपीलार्थीगण के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के अंतर्गत कोई प्रथमदृष्ट्या अपराध प्रकट नहीं होता। अतः उक्त प्राविधान के अंतर्गत अपीलार्थीगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का जारी रहना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

12. तदनुसार, दिनांक 09.12.2025 का तलबी आदेश, जहां तक वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(वा) के अंतर्गत अपराध से संबंधित है, एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।

13. तथापि, चूंकि परिवाद कार्यवाही के दौरान अंकित कथनों से धारा 352 बी.एन.एस. के अंतर्गत प्रथमदृष्ट्या मामला प्रकट होता है, अतः उक्त अपराध के संबंध में अपीलार्थीगण के विरुद्ध तलबी आदेश एवं कार्यवाही विधि के अनुसार जारी रहेगी।

14. उपर्युक्त के दृष्टिगत, **वर्तमान** आपराधिक अपील **अंशतः स्वीकार** की जाती है।

1 जून, 2026

पी. के. एस.

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।